भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 164

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य

†*164. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने ओडिशा में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की स्थिति क्या है;
(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ओडिशा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई; और
(घ) क्या ओडिशा में विशेषकर बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में किसी कमी या विलंब की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (घ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“ओडिशा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य” के संबंध में श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *164 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके। 'पेयजल' राज्य का विषय है और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

ओडिशा राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 3.11 लाख (3.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 65.27 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 07.12.2025 तक, राज्य के 88.65 लाख ग्रामीण परिवारों में से 68.38 लाख (77.14%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी के लिए ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव तथा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने हेतु माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 के दौरान कुल वर्धित परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में जेजेएम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की संख्या निम्नानुसार है:

जिला	ग्रामीण परिवारों की संख्या	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन		प्रदान किए गए नल जल के कनेक्शन की संख्या			07.12.2025 तक नल जल कनेक्शन	
		संख्या	%	2022-23	2023-24	2024-25	संख्या	%
बारगढ़	3,40,862	7,800	2.29	57,554	30,828	8,762	2,55,327	74.91
झारसुगुड़ा	94,380	697	0.74	23,797	12,569	1,159	82,289	87.19

(ग) पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान निधि आबंटन, आहरित निधि तथा ओडिशा राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आबंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2022-23	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,149.50
2023-24	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.36
2024-25	484.23	2,455.94	368.39	852.62	750.81	2,834.61

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

(घ) ओडिशा राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, बारगढ़ जिले में 660 एकल ग्राम योजनाएं/सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई हैं, जिनमें से 347 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह, झारसुगुड़ा जिले में 3 एकल ग्राम योजनाओं/सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1 परियोजना पूरी हो चुकी है। दोनों जिलों में एक-एक मेगा पाइपगत जलापूर्ति परियोजना है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ओडिशा में जेजेएम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कारकों के कारण विलंब हुआ है:

i.) कार्य निष्पादन चरण के दौरान, प्रमुख बुनियादी ढांचे जैसे कि इनटेक कुओं, जल शोधन संयंत्रों, पंप हाउसों के स्थानों में परिवर्तन और अपरिहार्य स्थल-विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले ईएसआर के कारण विलंब;
ii.) वन और पर्यावरण विभाग, एनएचएआई, रेलवे, निर्माण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग आदि जैसी कई एजेंसियों से सांविधिक अनुमोदन और मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) प्राप्त करने में विलंब;
iii.) आरक्षित वन क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर से पाइपलाइनों को बिछाने में बहु-स्तरीय सांविधिक अनुमोदन और प्रक्रियाएं शामिल हैं;
iv.) बड़ी ट्रंक प्रणाली के लिए जटिल तकनीकी डिजाइन और चित्रकला, जिसमें आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जांच सहित कई स्तरों पर पर्यवेक्षण और अनुमोदन की आवश्यकता है;
v.) निर्माण कार्यों और जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के संबंध में ग्रामीणों और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ स्थानों पर स्थानीय अवरोध और आपत्तियां की गईं;
vi.) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति और मशीनरी नियोजित करना;

vii.) कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न व्यवधान, जिसके दौरान निर्माण गतिविधियां रुक गईं। 2019-20 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं में लॉकडाउन, आवाजाही पर प्रतिबंध, श्रमिकों की अनुपलब्धता और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधानों के कारण लगभग दो वर्ष की देरी हुई; और

viii.) निधियों के अभाव ने भी जेजेएम के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है।

उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें उपयुक्त संस्थागत तंत्र का निर्माण शामिल है, जैसे कि विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जिसमें हितधारक विभागों के सचिव सदस्य हैं और आयुक्त-सह-सचिव, पीआर एंड डीडब्ल्यू विभाग की अध्यक्षता में अन्य समिति, जिसमें सदस्यों के रूप में सभी अवसंरचना विभागों के इंजीनियर-इन-चीफ शामिल हैं। इसके अलावा, लंबित अनुमोदनों और मुद्दों का शीघ्रता से हल करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मासिक आधार पर जिला-स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकार ने कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने और राज्य भर में चल रही जल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में व्यवधान से बचने के लिए राज्य हिस्सा अग्रिम में जारी किया है।

*****